

बिहार सरकार
 (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू-आर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अधिसूचना

पत्रांक संख्या—.....14/डी० एल० ऐ० (एस०एच०-८७)सीतामढी-५९/१३—२७००/रा०,पटना, दिनांक—२२-११-१३

थैंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—चैनपुर, थाना नं०-१८०, थाना—पुपरी, अंचल—पुपरी, जिला—सीतामढी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रुनीसैदपुर से बिसवा राज्य पथ सं०-८७ के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम—चैनपुर, थाना नं०-१८०, थाना—पुपरी, अंचल—पुपरी, जिला—सीतामढी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक भाष्प से कमोवेस ०.८० हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्व खेसरा संख्या निम्नांकित है—

अर्जनाधीन खेसरा संख्या— 1132अंश, 1131अंश, 1130अंश, 1789अंश, 1783अंश, 1782अंश, 1765अंश, 1754अंश, 1753अंश,
 1751अंश, 1750अंश, 1740अंश, एवं 1731 का अंश रक्खा

चौहदी

उत्तर— हरिहरपुर रोड,

दक्षिण— मधुवनी रोड,

पूर्व— खेसरा संख्या 1130, 1131, 1132, 1729, 1731, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740,


पश्चिम— रोड

1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1765, 1769, 1782, 1783 एवं 1804 का रक्खा

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1981 संशोधित अधिनियम 1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू-आर्जन पदाधिकारी, सीतामढी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि आर्जन पदाधिकारी, सीतामढी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक०), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि�०, पी०आई०य०-३, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-४ की उपवारा-२ में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

—४०—


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या—...../डी० एल० ऐ० (एस०एच०-८७)सीतामढी—२७००/रा०,पटना, दिनांक—२२-११-१३

प्रतिलिपि— निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-आर्जन पदाधिकारी, सीतामढी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढी की अधिसूचना की दो प्रतियों सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— समाहता/अपर समाहता/जिला भू-आर्जन पदाधिकारी, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

✓ ०८/१११३
सरकार के अवर सचिव